

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक पं. 1(9)साप्र/5/2020

जयपुर, दिनांक: 5 FEB 2021

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.02.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान में स्थित समस्त विश्राम भवनों एवं राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली में आवास/भोजनादि की दरें तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

घाट-1

घाट-1

"राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं राजस्थान में स्थित सभी विश्राम भवनों में कैटेगरी (अ)(i) की निर्धारित दर"

क्र	विवरण	जयपुर के अलावा राजस्थान के समस्त विश्राम भवन	विश्राम भवन, जयपुर	राजस्थान हाउस/ जोधपुर हाउस नई दिल्ली
1	सूईट	200	300	400
2	एसी	200	300	400
3	नॉन-एसी	100	200	200
4	चाय	10	10	10
5	काफी	15	15	15
6	नाश्ता	60	60	60
7	लन्च/ डीनर (वेज)	100	100	100

घाट - 2

"राजस्थान में स्थित सभी विश्राम भवनों में कैटेगरी (अ)(ii), (iii), कैटेगरी (ब) की निर्धारित दर "

कमरे का इकजाई धाज विवरण	अन्य राज्य के जज, अवकाश पर राज्य के पात्र अधिकारी एवं अ भा से के प्रविष्ट अधिकारी	अन्य राज्य भारत सरकार के अति पूर्वमत्री/ विधायक एवं पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी (कालम सं.4 में अंकित स्थानों के अतिरिक्त)	जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, भाउटआब, जैसलमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर एवं भीलवाड़ा	कैटेगरी (ब) गैर-सरकारी/ प्राइवेट/ राजकीय अतिथि (कालम सं.4 में अंकित स्थानों के अतिरिक्त)	
कमरा	कैटेगरी (अ)(ii)	कैटेगरी (अ)(iii)	कैटेगरी (अ)(iii)	कैटेगरी (ब)	शेष अन्य सभी स्थान
वीआईपी सूईट	500	1000	1000	2500	1200
वातानुकूलित	300	500	500	1500	600
दुबल कमरा	175	375	375	1200	400
अतिरिक्त बेड	50	50	50	100	100
सिंगल ट्रे चाय	10	10	10	15	15
सिंगल ट्रे काफी	15	15	15	25	25
नाश्ता	60	60	60	75	75
लन्च/ डीनर (वेज)	100	100	100	125	125

घाट - 3

राजस्थान हाउस, नई दिल्ली, की निर्धारित दर

क्र. सं	कमरे का इकजाई धाज	कैटेगरी (अ)(i)	कैटेगरी (अ)(ii)	कैटेगरी (अ)(iii)	कैटेगरी (ब) (प्राइवेट दर)
1	वीआईपी सूईट	400	400	1200	5500
2	वातानुकूलित	400	400	600	3500
3	अतिरिक्त बेड	50	50	50	200
4	सिंगल ट्रे चाय	10	10	10	25
5	सिंगल ट्रे काफी	15	15	15	30
6	नाश्ता	60	60	60	75
7	लन्च/ डीनर (शाकाहारी)	100	100	100	150

घाट - 4

सर्किट हाउसेज के कान्फ्रेंस हाल का 3 घण्टे का किराया बिजली सहित निर्धारित दर

क्र.	सर्किट हाउस का नाम	राजकीय विभागों/उपक्रमों से	भारत/अन्य राज्य सरकार/निजी व्यक्तियों से
1	राजस्थान हाउस, नई दिल्ली	10000	20000
2	समस्त सर्किट हाउस	3000	10000
3	फर्नीचर व अन्य सुविधा व्यवस्था	किरायेदार द्वारा स्वयं की जायेगी	किरायेदार द्वारा स्वयं की जायेगी
4	राजस्टेट गैस हाउस, चाणख्यपुरी, नई दिल्ली	10000	20000

घाट - 5

सर्किट हाउस कर्मचारियों से उसी सर्किट हाउस में उपभोग की जाने वाली केटरिंग सुविधाओं की निर्धारित दर  
(Amount in ₹)

क.स.	पद नाम	अतिरिक्त कार्य समय		निर्दिष्ट कार्य समय	
		प्रति देज खाना	सिंगल ट्रे धाय	प्रति एक प्लेट धावल+दाल, एक सब्जी+चार बपती	प्रति कप धाय
1	मैनेजर	25	10	20	5
2	सी. हाउसकोपर	25	10	20	5
3	हाउस कोपर	25	10	20	5
4	अन्य कर्मचारी	20	10	15	5

- कैटेगरी (ब) के अतिथियों से उपरोक्त दरों के अलावा कुल बिल की राशि पर 10% सर्वेन्ट प्रेच्युटी की राशि अतिरिक्त रूप से चार्ज की जायेगी।
- माउण्ट आबू में सीजन/ऑफसीजन हेतु दरें समान रूप से लागू होंगी। राजकीय कुटीर में प्रवास हेतु दरें विश्राम भवन स्थित वीआईपी सुईट्स के समान रहेंगी।
- मंत्रीगण/अधिकारियों के साथ आने वाले अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं अराजपत्रित कर्मचारियों से रूपये 30/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चार्ज किया जावेगा।

यह स्वीकृति संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 102100484 दिनांक 10.02.2021 द्वारा जारी सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव(जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी. क्रमांक एफ20004360 दिनांक 21.01.2021 के क्रम में।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
6. आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
9. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री।
10. निजी सचिव, समस्त अध्यक्ष/निगम/बोर्ड/मण्डल, राजस्थान।
11. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. 102100484 दिनांक 10.02.2021 के क्रम में।
13. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
14. उप महाप्रबंधक, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
15. उप महाप्रबंधक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
16. प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

(राजेश जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अलग से सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

(राजेश जैन)

संयुक्त शासन सचिव